परिशिष्ट–7

योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं हेतु भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन विनियम

1–अर्हतायें–

1.1 भूखण्ड हेतु आवेदन करने वाली/नीलामी में भाग लेने वाली संस्था को सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 अथवा कंपनी अधिनियम 1965 के अन्तर्गत सोसाइटी चैरिटेबल कम्पनी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है।

1.2 संस्था के पास विद्यालय भूखण्ड पर निर्माण करने व चलाने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक है।

1.3 आवेदक संस्था का मूल उद्देश्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार एवं सामाजिक कार्य से संबंधित होना चाहिये।

1.4 संस्था साम्प्रदायिक एवं जातीय आधार पर गठित नहीं हों।

1.5 नवीन संस्था होने की स्थिति में संस्था के पदाधिकारियों का शिक्षा क्षेत्र में अनुभव उनका योगदान तथा शिक्षा के प्रसार की परिकल्पना का स्वरूप प्रस्तुत करना होगा।

1.6 आवेदन करने वाले/नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति को संस्था की ओर से अधिकृत होना आवश्यक है।

2–आवेदन प्रक्रिया–

2.1 विद्यालय भूखण्डों के निस्तारण हेतु दो लोकप्रिय समाचार–पत्रों मे विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विद्यालय भूखण्डों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ सम्बन्धित जोन, वृत्त, खण्ड कार्यालय एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित/प्रदर्शित किया जायेगा।

2.2 विद्यालय भूखण्ड के निस्तारण हेतु विज्ञापन, नोटिस बोर्ड एवं परिषद वेबसाइट पर भूखण्ड का पूर्ण विवरण यथा शहर/योजना का नाम, भूखण्ड संख्या भूखण्ड का क्षेत्रफल, निर्धारित लीज दर प्रदर्शित किया जायेगा। भूखण्ड की दर में कार्नर शुल्क (यथा स्थिति) जोड़ा जायेगा।

2.3 इच्छुक आवेदक संस्थाओं से आवेदन/प्रस्ताव अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रपत्रों की प्रति सहित नीलामी की निर्धारित तिथि से 30 दिन पूर्व तक जोन कार्यालय में आमंत्रित/प्राप्त किये जायेंगे। जोनल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों का परीक्षण तथा शार्टलिस्ट किया

जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त कोई आवेदन–पत्र प्राप्त/ग्राहय नहीं होगा। समिति में संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तथा संबंधित खण्ड के सहायक लेखाधिकारी (सदस्य) एवं सम्बन्धित सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक संयोजक होंगे।

2.4 समिति द्वारा जाँच/शार्टलिस्ट करने के उपरान्त वैध/पात्र आवेदन–पत्रों को संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों मे नीलामी तिथि से 15 दिन पूर्व प्रेषित कर दिया जायेगा। अप्रात्र आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में सूचना संबंधित संस्थाओं को दे दी जायेगी। आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।

2.5 पात्र संस्थाओं को नीलामी में भाग लेने की सूचना संबंधित जोनल कार्यालय/ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा समयान्तर्गत दी जायेगी।

2.6 आवेदन–पत्र का प्रारूप परिषद की वेबसाईट www.upavp.com पर एवं संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से प्राप्त किये जायेंगे।

2.7 इच्छुक संस्था को रू0 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट आवेदन शुल्क के रूप में आवेदन–पत्र के साथ तथा **निर्धारित भूखण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि (टोकन धनराशि)** का बैंक ड्राफ्ट नीलामी में भाग लेने के समय प्रस्तुत करना होगा। समस्त बैंक ड्राफ्ट उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम से संबंधित नगर पर देय होंगे तथा सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा संरक्षित/जमा कराये जायेंगे। ड्राफ्ट जमा करने से पूर्व ड्राफ्ट के पीछे शहर/योजना का नाम, भूखण्ड संख्या, क्षेत्रफल, संस्था का नाम आदि का उल्लेख अवश्य किया जाये। आवेदन शुल्क की धनराशि वापस नहीं की जायेगी। यह धनराशि Non refundable होगी।

3–नीलामी प्रक्रिया–

3.1 इच्छुक संस्था/संस्थायें विद्यालय भूखण्ड के लिए खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर भूखण्ड का निरीक्षण कर सकते हैं।

3.2 विद्याालय भूखण्डों का निस्तारण खुली नीलामी के माध्यम से यथा प्रचलित सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत की जायेगी। निर्णायक मण्डल की अध्यक्षता अपर/संयुक्त/उप आवास आयुक्त (जोन) द्वारा की जायेगी। निर्णायक मण्डल में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबन्धक जिला अधिकारी के प्रतिनिधि, जहाँ–जहाँ विकास प्राधिकरण हैं उनके सचिव/अपर सचिव नामित सदस्य होंगे।

3.3 नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोलियों को नीलामी तिथि को ही अथवा अगले कार्य दिवस में अपर/संयुक्त आवास आयुक्त, बल्क सेल, मुख्यालय को अग्रसारित किया जायेगा।

3.4 विलुप्त

3.5 यदि नीलामी के माध्यम से भूखण्डों का निस्तारण नहीं हो पाता है तो लीज पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

4—आरक्षित मूल्य का निर्धारण—

4.1 भूखण्ड के आरक्षित दर का निर्धारण, जिन योजनाओं में योजना प्रारम्भ होने (प्रथम पंजीकरण खोलने की तिथि) से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, में नीलामी की तिथि पर प्रचलित परिषद की सेक्टर/योजना आवासीय दर पर किया जायेगा। जिन योजनाओं मे 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, उनमें परिषद सेक्टर/योजना के आवासीय दर के 50 प्रतिशत के समतुल्य आरक्षित दर का निर्धारण किया जायेगा। भूखण्ड के कार्नर होने की स्थिति में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क एवं 10 प्रतिशत लीजरेन्ट जोड़कर आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

5—उच्चतम बोली की स्वीकृति—

5.1 अपर आवास आयुक्त एवं सचिव — रू0 3.00 करोड़ तक आरक्षित मूल्य के भूखण्ड हेतु।

5.2 आवास आयुक्त — रू0 3.00 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य के भूखण्डों हेतु।

5.3 यदि किसी भूखण्ड के विरूद्ध एकल बोली/आफर प्राप्त होती है तो सामान्यता उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि विचार किया जाना आवश्यक है तो कारण के साथ जोनल अधिकारी स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/आवास आयुक्त को अग्रसारित करेंगे।

6—प्रदेशन—पत्र—

प्रश्नगत विद्यालय भूखण्ड के विरूद्ध प्राप्त उच्चतम बोली की सक्षम स्तर (उपरोक्तानुसार) से स्वीकृत के उपरान्त सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा संस्था के पक्ष में प्रदेशन—पत्र निर्गत किया जायेगा

7—आवंटन की शर्तें

7.1 भूखण्ड ''जहाँ हैं जैसे हैं'' की स्थिति के अनुसार आफर किये जा रहे हैं। किसी भूखण्ड के किसी भी मा. न्यायालय के आदेशों से कब्जा देने में कठिनाई की स्थिति में अन्यत्र वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन का कब्जा दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा।

7.2 विभिन्न स्तर के विद्यालय भूखण्ड का उपयोग सम्बन्धित विभाग (यथा—बेसिक/माध्यमिक/शिक्षा/सी0बी0एस0ई0/आई0एस0सी0 बोर्ड

आदि) के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।

7.3 प्रश्नगत प्रकाशन के उपरान्त अपरिहार्य कारणों से विद्यालय भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि हो सकती हैं, जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी शैक्षिक भूखण्ड का आफर/प्रत्याहरित किया जा सकता है।

7.4 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्हीं कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये विद्यालय भूखण्डों के मूल्य, क्षेत्रफल अथवा शर्तों में परिवर्तन करना पड़ता है तो तदनुसार आवेदक संस्था को मानना होगा तथा इस विषय पर संस्था का किसी प्रकार का दावा या अधिकार मान्य नहीं होगा।

7.5 संस्था के पास प्रस्तावित विद्यालय/शिक्षण संस्था को चलाने हेतु पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिये।

7.6 अधिमान्य होगा कि संस्था के पदाधिकारियों का शिक्षा–क्षेत्र में अनुभव योगदान तथा शिक्षा के प्रसार में योगदान हो।

7.7 उ0प्र0 शासन/मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकर बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में यदि कोई आदेश पारित किये जाते हैं तो उसे संस्था ''विद्यालय भूखण्ड'' के आवंटी को भी परिवर्तित मूल्य देय होगा।

7.8 संस्था को भूमि अन्तरण करने, किराये पर देने अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा। इस शर्त के उल्लंघन से परिषद द्वारा लीज डीड को निरस्त किया जा सकेगा।

7.9 शिक्षण संस्था के संचालन समिति में आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य होंगे तथा उन्हें संचालन समिति की सभी बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप मे बुलाया जायेगा।

8–देय धनराशि का भुगतान–

8.1 विज्ञापन में आवेदन शुल्क, भुखण्डों की आरक्षित दर तथा देय मूल्य एवं तद्नुसार देय टोकन धनराशि प्रदर्शित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के परिवर्तन पर तद्नुसार दरें/मूल्य परिवर्तनीय हैं।

8.2 ''विद्यालय भूखण्ड'' हेतु इच्छुक संस्था द्वारा दी गयी उच्चतम बोली/आफर की स्वीकृति उपरान्त संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा प्रदेशन–पत्र निर्गत किये जायेगें जिसमें भूमि के अनुसार मूल्य, लीज मूल्य/धनराशि आदि व भुगतान विषयक सूचनायें विस्तार से दी जायेंगी।

8.3 ''विद्यालय भूखण्ड'' के लिये टोकन धनराशि सहित कुल मूल्य की 25

प्रतिशत धनराशि (टोकन धनराशि सहित) प्रदेशन–पत्र के निर्गमन की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा करनी होगी।

8.4 लीजरेन्ट का एक मुश्त भुगतान अगले 15 दिन के अन्दर करना होगा।

8.5 15 प्रतिशत की धनराशि समयान्तर्गत न जमा होने पर अधिकतम 180 दिन का अतिरिक्त समय प्रचलित दण्ड ब्याज के साथ स्वीकृत के सक्षम स्तर से दिया जा सकेगा। उक्त अवधि के बाद कोई समयवृद्धि नहीं दी जायेगी।

8.6 8.5 के अनुसार अतिरिक्त समयान्तर्गत भी भुगतान न होने पर 30 दिन का पंजीकृत नोटिस देते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

8.7 भूखण्ड का कब्जा, 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त, शेष 75 प्रतिशत धनराशि आवासीय सम्पत्तियों हेतु प्रचलित ब्याज दर सहित 4 वार्षिक किस्तों में भुगतान करने के संदर्भ सहित अनुबन्ध निष्पादित कराने के उपरान्त दिया जायेगा।

8.8 देय धनराशि परिषद खाते में जमा करने के उपरान्त 180 दिवस में पंजीकृत लीज डीड कराना आवश्यक है। यदि आवेदक संस्था विलम्ब करती है तो पंजीकृत लीज डीड कराने हेतु निर्धारित 180 दिवस की समय सीमा के उपरान्त आवेदक संस्था को रू0 500/– प्रतिदिन की दर से अधिकतम 30 दिवस तक विलम्ब शुल्क सहित अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा।

8.9 30 दिवस तक विलम्ब शुल्क सहित भी लीज डीड निष्पादित न कराने पर उपरोक्तानुसार पंजीकृत नोटिस देते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेंगी।

8.10 संस्था द्वारा लीज डीड के समय सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर से निर्गत मान्यता प्रमाण–पत्र एवं आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। लीज डीड का निष्पादन व्यय संस्था को वहन करना होगा।

9–आरक्षण एवं फीस में छूट–

9.1 विद्यालय संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रवेश के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत की छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।

9.2 बच्चों को प्रवेश में आरक्षण अथवा शिक्षण शुल्क में छूट की देयता आदि के प्राविधान प्रदेश सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की सुसंगत नीतियों/शासनादेशों (समय समय पर यथा संशोधित) से शासित होंगे।

9.3 संस्था परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश प्राथमिकता पर करेगी तथा फीस में 50 प्रतिशत की छूट भी उपलब्ध करायेगी।

10—भूखण्ड का कब्जा—

10.1 भूखण्ड का कब्जा ''जहाँ है, जैसे है'' के आधार पर दिया जायेगा। इच्छुक संस्था नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल का भ्रमण कर सकती है।

10.2 भूमि की माप घट/बढ़ जाने पर अथवा अपरिहार्य स्थलीय कारणों से मौके पर भूमि के कब्जे विषयक विवाद पर परिषद द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष अथवा वैकल्पिक भूखण्ड नहीं दिया जायेगा।

10.3 इस दशा में आवंटी को परिषद के नियमानुसार जमा धनराशि वापसी की कार्यवाही की जायेगी

10.4 संस्था के विद्यालय भूखण्ड का कब्जा संबन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा पंजीकृत लीज निष्पादित होने के पश्चात् ही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कार्यालय द्वारा 15 दिन के अन्दर दिया जायेगा।

10.5 आवेदक संस्था द्वारा पंजीकृत लीज डीड निष्पादन के उपरान्त ''शैक्षिक भूखण्ड का भौतिक कब्जा उल्लिखित/निर्धारित समय सीमा में नहीं लिया जाता है तो आवेदक संस्था को रू0 500/— प्रतिदिन के आधार पर अधिकतम 30 दिवस तक रख—रखाव शुल्क भी नियमानुसार देय होगा। इसके उपरान्त यथा प्राविधान निरस्तीकरण सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

10.6 सूचित की गयी तिथि से दो माह तक कब्जा प्राप्त न करने की स्थिति में आवास आयुक्त को अधिकार होगा कि शैक्षिक संस्था को आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जाये। ऐसी दशा में टोकन धनराशि (भूखण्ड मूल्य की 10 प्रतिशत) जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

11—नीलामी सफल न होने पर लीज पर आवंटनः— नीलामी से आवंटन हेतु 3 बार प्रयास करने के बावजूद विद्यालय भूखण्ड नीलामी में इच्छुक संस्थाओं के भाग न लेने के कारण अनिस्तारित रहने पर उक्त भूखण्ड का आवंटन शासनादेश संख्या 3600/आठ—1—11—10 विविध/04 दिनांक 21.12.2011 के प्रस्तर—4 (1) (iii) के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित कराकर प्राप्त आवेदकों के मध्य उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से परीक्षण कराकर गुण दोष के आधार पर आवास आयुक्त स्तर से किया जा सकेगा।

12—आवंटन, निरस्तीकरण/पुनर्जीवन—

12.1 ''विद्यालय भूखण्ड'' का आवंटन—पत्र निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित देय वार्षिक किश्तों में से एक भी किश्त की अदायगी न करने की दशा में भूखण्ड

का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

12.2 निरस्तीकरण से पूर्व धनराशि जमा करने के लिए संस्था को नियमानुसार एक नोटिस पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा। इसकी पुष्टि सम्पत्ति पंजिका एवं पत्रावली में सुरक्षित रखी जायेगी।

12.3 संस्था को नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो ''विद्यालय भूखण्ड'' का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही स्वीकृति के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर की जायेगी।

12.4 भूखण्ड का आवंटन निरस्त किये जाने के उपरान्त 3 माह तक की सीमा तक ही भूखण्ड का पुनर्जीवन आवास आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा।

12.5 पुनर्जीवन की स्थिति में पुनर्जीवन शुल्क के रूप में टोकन धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय साधारण ब्याज सहित संस्था को भुगतान करना होगा।

12.6 03 माह की समय सीमा के पश्चात् पुनर्जीवन नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार कटौती के पश्चात अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापसी की कार्यवाही सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा की जायेगी।

13—पंजीकरण धनराशि की वापसी—

13.1 यदि आवेदक संस्था के पक्ष में ''विद्यालय भूखण्ड'' के आवंटन का निर्णय नहीं होता है तो सम्बन्धित संस्था की जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा एक माह के अन्दर बिना ब्याज के संस्था द्वारा दिये गये खाता संख्या के माध्यम से अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से की जायेगी।

13.2 यदि कोई आवेदक ''विद्यालय भूखण्ड'' के नीलामी स्वीकृति के बाद उक्त भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि की वापसी चाहता हैं, तो आवंटन के एक माह के अन्दर आवेदन करने पर टोकन धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायगी।

13.3 यदि कोई आवेदक संस्था पंजीकरण धनराशि नीलामी की स्वीकृति से पूर्व वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें टोकन धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा वापस कर दी जायेगी। इस निमित्त आवेदक संस्था को सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से रिफण्ड वाउचर प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर उसी कार्यालय में जिस शहर/योजना की सम्पत्ति हैं, जमा करना होगा। धनराशि वापसी की कार्यवाही सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा ही की जायेगी।

14—अतिरिक्त भूमि का आवंटन—

14.1 स्थल पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने पर, यदि उक्त भूमि का परिषद हित में कोई स्वतंत्र प्रयोग सम्भव नहीं हैं, तो उसके आवंटन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक के अभिमत के उपरान्त अपर आवास आयुक्त एवं सचिव द्वारा निर्णय लिया जायेगा। अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान सेक्टर/योजना रेट (दर) पर किया जायेगा।

14.2 क्षेत्रफल में वृद्धि पर स्वीकृत दर से धनराशि देय होगी, क्षेत्रफल की कमी की स्थिति में आरक्षित दर से धनराशि वापस की जायेगी।

15—कर आदि की देयता—

15.1 आवंटित विद्यालय भूखण्ड के सम्बन्ध में नगर निगम/नगरपालिका परिषद अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी संस्था को स्वयं वहन करने होंगे।

16—निर्माण की शर्तें—

16.1 संस्था को ''विद्यालय भूखण्ड'' की लीज डीड की निष्पादन की तिथि से 03 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने की दशा में लीज डीड निरस्त कर दी जायेगी।

16.2 संस्था को शिक्षण संस्था ''भवन'' का मानचित्र परिषद के सक्षम स्तर से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। स्कूल भूखण्ड का अनुमन्य भूःआच्छादन के न्यूनतम 25 प्रतिशत क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निर्माण माना जायेगा।

16.3 नियत अवधि (03 वर्ष) में निर्माण पूर्ण न करने अर्थात निर्माण की शर्त का उल्लंघन होने की दशा में संस्था को एक पंजीकृत नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त नियमानुसार कटौती करते हुए संस्था की लीज डीड निरस्त कर दी जायेगी।

16.4 निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त समय भूखण्ड के स्कूल प्रयोजन के प्रचलित मूल्य (सर्किल रेट के आधार पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष सरचार्ज लेकर भौतिक कब्जे की तिथि से अधिकतम 05 वर्षों तक दिया जायेगा।

16.5 जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन हेतु भूखण्ड का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लाया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में लीज निरस्त करते हुए परिषद द्वारा पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

16.6 संस्था पर परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियम तथा गाइड लाइन्स एवं शर्तें प्रभावी होंगी।

17–विवाद की दशा में–

17.1 किसी विवाद की दशा में आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।

18–तथ्यों को छिपाना–

18.1 आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें अथवा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की वैधता प्रमाणित नहीं होती हैं, या विवरण असत्य पाया जाता है, तो आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को ''विद्यालय भूखण्ड'' का प्रदेशन/आवन्टन निरस्त करने तथा जमा की गयी धनराशि को पूर्ण रूप से जब्त करने/आंशिक जब्त करने /बिना ब्याज वापस करने का पूर्ण अधिकार होगा।

19–शर्तों में संशोधन/परिर्वतन/परिवर्द्धन–

19.1 उपरोक्त शर्तों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन करने का पूर्ण अधिकार आवास आयुक्त/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा।

19.2 उपरोक्त के अतिरिक्त जिन प्राविधानों का समावेश नहीं हो सका है, के विषय में परिषद की संस्थागत भूखण्डों एवं लीज सम्बन्धी प्रचलित नियम/शर्तें प्रभावी होंगी।